

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023



प्रस्तुतीकरण :-

नींव शिक्षा जन कल्याण समिति

ग्वालियर, मध्यप्रदेश,

मो. नं. 9752218399, वाट्सएप नं. 8982174964

[ईमेल—neeveducationwelfaresociety@gmail.com](mailto:neeveducationwelfaresociety@gmail.com)/neevgwaliior@gmail.com,

Instagram&neev2394,YouTube<https://youtube-com/@NeevNeevSHIKSHAjanklyansamiti>

<https://www.linkedin.com/in/reena-shakya-2b532327b>

आभार

संवैधानिक मूल्यों पर आधारित समाज की रचना के लिए जरूरी है कि समाज के पिछड़े और वंचितों को जागरूक करके संगठित किया जाये, जिससे कि वे अपने लोकतान्त्रिक अधिकारों को पहचान सकें, विशेष कर महिलाएं जिनको आज भी समाज में दोगुना दर्जे का नागरिक माना जाता है।

मुझे खुशी हो रही है कि संस्था अपने विजन और मिशन को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। कोरोना काल के बाद अनौपचारिक शिक्षा, जल व स्वच्छता और सामुदायिक सशक्तिकरण के साथ राहत कार्यों पर यह रिपोर्ट आधारित है।

मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों, मार्गदर्शकों, दानदाता समूहों, कार्यकर्ताओं सहित स्वयंसेवकों के प्रति उनके सहयोग के लिए आभार प्रगट करती हूँ.

शुभकामनाओं सहित

रीना शाक्य

सचिव

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पेज संख्या
01	संस्था का विजन और मिशन	04
02	संस्था का कार्यक्रम	05
03	संस्था का कार्यक्षेत्र	05
04	सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम	06
4.1	संवैधानिक मूल्यों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	7-8
4.2	युवा नेतृत्व क्षमता विकास विकास	08
4.3	समुदाय के नेतृत्वकारी साथियों का क्षमता विकास	9-10
05	स्वच्छता कार्यक्रम	11
5.1	माहवारी स्वच्छता जागरूकता अभियान	12-13
5.2	विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस (28 मई 2022)	14
06	अनौपचारिक शिक्षा	15
6.1	“सावित्रीबाई फुले की पाठशाला” का संचालन	15-16
6.2	शिक्षकों का प्रशिक्षण	17-18
6.3	“सावित्रीबाई फुले की पाठशाला” का वार्षिक आयोजन	19-20
07	आपदा राहत कार्य	21
08	संस्थान की विधिक जानकारी	21

1- संस्था का विजन और मिशन

पृष्ठभूमि :- संस्था का कार्यक्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग है जो कि सामंतवाद, जातिवाद, लैंगिक भेदभाव का आज भी समाज में असर स्पष्ट दिखाई देता है। संस्था अपने स्थापना वर्ष के साथ ही इन सभी सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिए अपने लक्ष्य व उद्देश्यों के लिए कार्यरत है।

संस्था का लक्ष्य :-

संविधान की प्रस्तावना में अंकित सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय और अवसर की समानता को सुनिश्चित करना और समाज के सबसे वंचित, पीड़ित और शोषित व दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं को मुख्य धारा में लाना है।

संविधान की प्रस्तावना में अंकित “सभी व्यक्तियों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, न्याय और अवसर की समानता को सुनिश्चित करना” इन शब्दों को अंगीकृत करना संस्था का मुख्य लक्ष्य है। समाज के सबसे कमजोर तबके जो वंचित समुदायों से आते हैं (दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं) इनको समाज की मुख्यधारा में लेकर आना ही संस्था का मुख्य लक्ष्य है।

संस्था का उद्देश्य :-

सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, तकनीकी ज्ञान, कौशल व क्षमता विकास के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति के समुदायों को सम्मान पूर्वक जीवन सुनिश्चित करना।

2— संस्था के कार्यक्रम

संस्था का मुख्य कार्य वंचित समुदाय के दलित, आदिवासी, मुस्लिम समुदाय के बीच है, इनके बीच निम्नांकित कार्यक्रम संचालित कर रही है, जो निम्नानुसार है—

1. जागरूकता एवं क्षमता वृद्धि।
2. वंचित समुदाय की सरकारी योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
3. महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य पोषण, लैंगिक, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता।
4. संवैधानिक मूल्यों के प्रति समुदाय को जागरूकता अभियान।
5. समुदाय आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम।

3— संस्था का कार्यक्षेत्र

संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। संस्था वर्तमान में चम्बल संभाग के दो जिलों श्योपुर, मुरैना और ग्वालियर संभाग के ग्वालियर, शिवपुरी जिले सहित दमोह, उमरिया, शहडोल जिले में सघन रूप से कार्य कर रही है।



4- सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम

सामुदायिक जन जागरूकता से प्रमुख यह तात्पर्य है कि समुदाय के सदस्य अपनी समस्याओं, आवश्यकताओं, संसाधनों तथा क्षमताओं के प्रति सचेत होकर अपने बीच मौजूद मुद्दों एवं समस्याओं की पहचान कर उनका समाधान कर सकें।

सहभागी आंकलन के फलस्वरूप पहचान किए गये समस्याओं, आवश्यकताओं एवं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक जन जागरूकता हेतु एक व्यापक अभियान चलाने की आवश्यकता होती है जिससे कि समुदाय के सदस्य उत्प्रेरित होकर स्वयं सहायता समूह निर्माण एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा समस्याओं के समाधान के लिए अग्रसर हो सकें।



प्रत्येक जन जागरूकता अभियान में स्थानीय विशेषताओं, संस्कृति, परम्पराओं, जीवन शैली तथा संसाधनों का समावेश करने की आवश्यकता होती है जिससे समुदाय इस कार्यक्रम द्वारा प्रेषित संदेशों से अपने आपको पूरी तरह से जोड़ सकें।

सामुदायिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत लक्षित समूह के क्षमता विकास के लिए निम्न कार्यक्रम किये गए :-

संवैधानिक मूल्यों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारतीय संविधान के प्रारंभ में 'प्रिऍम्बल' या उद्देशिका दी गयी है जिसमें स्पष्ट तौर पर लक्ष्यों का उल्लेख है। जिसमें कहा गया है कि "भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया जायेगा।"

साथ ही सब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा-अर्चना की आजादी, हैसियत और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भाईचारे की गारंटी की जायेगी।

उद्देशिका के अनुरूप हमारे यहां एकल नागरिकता की व्यवस्था है यानी धर्म, लिंग जाति, भाषा, रंग और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित है। वर्ष 1976 में बयालीसवें संशोधन के जरिए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को परस्पर जोड़कर देश में समतामूलक समाज बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिससे शोषण और उत्पीड़न समाप्त हो।

लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म मानने या न मानने और अपने धार्मिक विचारों के प्रचार की छूट दी गयी तथा यह स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राजकीय संस्थानों में किसी धर्म विशेष को न तरजीह दी जायेगी और न ही उसके परिसर में मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि का निर्माण होगा। राज्य द्वारा पूरी तरह या अंशतः वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।

राज्य विरासत में मिली क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास करेगा जिससे देश की क्षेत्रीय अखंडता मजबूत बने और अलगाव की भावना न पनपे। साथ ही समाज में व्याप्त हर प्रकार की विषमता मिटाने के प्रयास होंगे। दलितों, जनजातियों,

स्त्रियों आदि को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किये जायेंगे जिनमें छात्रवृत्तियां, नौकरियों में कोटा और लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण शामिल होंगे।

संवैधानिक मूल्यों पर प्रशिक्षण

शिक्षकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 27 से 28 सितम्बर 2022 को शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षण में प्रतिभागियों का उपरोक्त संवैधानिक मूल्यों पर क्षमता विकास किया गया।



युवा नेतृत्व क्षमता विकास विकास

नेतृत्व के गुणों में नवाचार, कड़े फैसले लेने का साहस व मुश्किल घड़ी में रास्ता निकाल लेने वाले प्रमुख लक्षण होते हैं। निराशा में उम्मीद की किरण जगाने वाला, लक्ष्य प्राप्त करने वाला एवं दूरदर्शिता रखना नेतृत्व कौशल के उदाहरण है। जीवन व्यक्ति की निर्भीकता के अनुपात में विकसित होता और सिकुड़ता है। भारत पूरी दुनिया में युवाओं का सबसे बड़ा देश है। ऐसे में युवा वर्ग के अन्दर नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व का विकास जरूरी है। युवाओं को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संस्था द्वारा 05 दिसंबर 2022 को प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण के दौरान न्यूटन के नियम के बारे में चर्चा करते हुए बताया गया कि न्यूटन के दो नियम जिसमें पहला कोई भी वस्तु तभी आगे बढ़ सकती है जब उस पर बल लगाया जाये, जो हमारे समाज पर लागू होती है। दूसरा नियम किसी वस्तु में स्वयं ही उर्जा होती है जो स्वयं आगे बढ़ सकती है यह नियम संगठन पर लागू होता है। संगठन पर न्यूटन का दूसरा नियम लागू होता है जिसमें स्वयं उर्जा होती है। इसलिए संगठित होकर आगे बढ़ने की जरूरत है।

समुदाय के नेतृत्वकारी साथियों का क्षमता विकास



समुदाय-आधारित विकास स्थानीय स्वामित्व वाले दृष्टिकोण और लक्ष्यों को बनाने और प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की एक प्रक्रिया है। यह एक योजना और विकास दृष्टिकोण है जो मूल सिद्धांतों के एक सेट पर आधारित है जो (कम से कम) उस भौगोलिक समुदाय में रहने वाले लोगों द्वारा दृष्टि और प्राथमिकताएं निर्धारित करता है, स्थानीय आवाजों को आगे रखता है, स्थानीय शक्तियों पर निर्माण करता है (बल्कि समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करें), विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करता है, जानबूझकर और अनुकूलनीय है और अल्पकालिक परियोजनाओं के बजाय प्रणालीगत परिवर्तन प्राप्त करने के लिए काम करता है।

समुदाय के नेतृत्व वाला विकास कार्यक्रम बड़े पैमाने पर समुदायों द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी पुनर्निर्माण योजना रही है। इसे भारत की दो-तिहाई आबादी के लिए आशा और खुशी बताया गया है।

समुदाय के नेतृत्वकारी लोगों का क्षमता विकास (आंकड़ों में)

दिनांक	स्थान	भागीदारी संख्या

?प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक परिदृष्यों को सामने रखकर उनका विप्लेष्ण करने की क्षमता को विकसित किया गया और गरीबी के कारणों पर चर्चा और उससे जुड़ी शासकीय योजनाओं तक उनकी पहुँच सुनिश्चित कराने की रणनीतियों पर क्षमता विकसित की गयी।



जेण्डर भागीदारी और जेण्डर के नाम किये जाने वाले भेदभाव को बताया गया। महिलाओं की समानता के अधिकार पर भी चर्चा की गयी।

प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों में सामुदायिक नेतृत्व की भावना का विकास हुआ और उनकी समझ विकसित हुई।

5— जल व स्वच्छता कार्यक्रम

सुरक्षित जल, स्वच्छता और साफ-सफाई तक पहुंच स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सबसे बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। यदि प्रगति चौगुनी नहीं हुई तो 2030 तक अरबों लोगों को इन बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी होगी। तेजी से जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और कृषि, उद्योग और ऊर्जा क्षेत्रों में पानी की बढ़ती



जरूरतों के कारण पानी की मांग बढ़ रही है।

दशकों के दुरुपयोग, खराब प्रबंधन, भू-जल के अत्यधिक दोहन और मीठे पानी की आपूर्ति के प्रदूषण ने जल संकट को बढ़ा दिया है। इसके अलावा, खराब जल-संबंधी पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली पानी की कमी, पानी और स्वच्छता में कम निवेश और सीमा पार जल पर अपर्याप्त सहयोग से जुड़ी बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। असुरक्षित पानी, अपर्याप्त स्वच्छता और खराब स्वच्छता प्रथाओं के कारण सीधे तौर पर होने वाली बीमारियों

से बहुत सारे लोग मर जाते हैं या अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा जीवन रक्षक दवाओं पर खर्च कर देते हैं. इसलिए संस्था के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम को अपनाया गया है।

माहवारी स्वच्छता जागरूकता अभियान

माहवारी मासिक कर्म एक प्राकृतिक क्रिया है जिससे कि हर औरत को अपनी आधी जिंदगी में हर महीने गुजरना होता है। चूंकि यह एक प्राकृतिक क्रिया है फिर भी इसे मानव ने गंदा बना दिया है। भारत वर्ष में मुख्यतः गांवों में तो इसे बहुत ही शर्मनाक तरीके से देखा जाता है। इसके बारे में जितना एक लड़की व महिला को जानना होता है उतना ही एक पुरुष को भी जानना चाहिये। माहवारी की ही वजह से एक लड़की माँ बनती है क्योंकि इस क्रिया की वजह से उसका शरीर माँ बनने के लायक होता है, अगर कोई लड़की को माहवारी नहीं आती है तो वो माँ नहीं बन सकती। सोचो इस सृष्टि का निर्माण व आगे पृथ्वी पर बच्चों का जन्म लेना माहवारी पर आधारित है। आज भी किसी लड़की का सेनेटरी पेड बाजार में खरीदना शर्मनाक माना जाता है और छिपाकर बाजार से लाया जाता है तथा घर



में भी छिपा कर रखा जाता है। इसके साथ कई सारे सामाजिक बंधन हैं और बहुत सारी काल्पित कथाएं हैं और जानकारी बहुत ही कम है।

मासिक स्वच्छता प्रबंधन की जानकारी के अभाव में यौन जनित बिमारियों से महिलाएं और किशोरवय बालिकाएं ग्रसित हो जाती हैं। सबसे अधिक बुरा प्रभाव गरीब तबके की महिलाओं व किशोरवय बालिकाओं पर पड़ता है। स्कूल जाने वाली किशोरवय बालिकाएं मासिक श्राव के दौरान स्कूल जाना बंद कर देती हैं क्योंकि माहवारी के संबंध में न तो स्वच्छ वातावरण है और न ही अधिकांश बालिकाओं के पास पेड खरीदने के पैसे ही नहीं होते हैं।



नींव संस्था का मानना है कि सरकार द्वारा स्कूली छात्राओं को निःशुल्क सेनिटरी पेड उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। संस्था इसके लिए जन वकालत कर रही है, जिसके अंतर्गत कई स्तरों पर प्रयास किया जा रहा है। संस्था के द्वारा महिलाओं और किशोरवय बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के गुण सिखाये जाते हैं जिससे कि वे बेहतर तरीके से प्रबंधन कर सकें और बिमारियों से बच सकें। समुदाय को भी जागरूक किया जाता है जिससे इस दौरान होने वाले भेदभाव को दूर किया जा सके। अभियान की मांगों को लेकर राजनैतिक दलों व जन-प्रतिनिधियों से भी चर्चा की गयी है।

विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस (28 मई 2022)

एक लड़की को माहवारी की शुरुआत के पहले शिक्षा दी जानी चाहिये। इस दौरान शारीरिक बदलाव, भावनात्मक बदलाव होता है उसको हर लड़की को जानना चाहिये। इस दौरान के विचारों में बदलाव, शारीरिक बदलाव होते हैं और उस बदलाव को महिलाओं को महसूस करना चाहिये।

माहवारी को समझने के लिये शारीरिक व प्रजनन तंत्र को समझना बहुत जरूरी है व इसके पहले किशोरावस्था में जो लड़कियों में शारीरिक बदलाव आते हैं जो कि एक लड़की को माँ बनने के लिये जरूरी है, मतलब उसका शरीर बच्चे को जन्म देने के लिये तैयार होता है।



विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस पर 28 मई को 2022 ग्वालियर स्थित “स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान” में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें संस्था के सचिव के द्वारा बताया गया कि मध्यप्रदेश के विद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी पैड की मांग को लेकर आनलाइन पिटिषन के माध्यम से जनपैरवी की जा रही है जिसमें 25 हजार से

अधिक हस्ताक्षर प्राप्त हो चुके हैं। इस कार्यक्रम में महिला संगठनों, सामाजिक संगठनों, डाक्टर, युवा वर्ग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और एक स्वर से सरकार से मांग किया कि मध्यप्रदेश के विद्यालयों में छात्राओं के लिए निःशुल्क सेनिटरी पैड माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए उपलब्ध कराया जाये।

6—अनौपचारिक शिक्षा

“सावित्रीबाई फुले की पाठशाला” का संचालन

संस्था द्वारा वंचित समुदाय के बच्चों में शिक्षा की रोशनी प्रदान करने के उद्देश्य से चार स्थानों (चन्दन नगर, जाटवपुरा, महलगॉव और पूरन का पूरा, आदिवासी बस्ती) में (लर्निंग सेंटर) अनौपचारिक शिक्षा केंद्र संचालित किया जा रहा है। इस केंद्र पर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। जिसमें अधिकांश बच्चे परिवार की आर्थिक स्थिति सही न होने कारण से मुख्यधारा की शिक्षा से वंचित हो गए हैं।

संस्था का मुख्य उद्देश्य बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना है। इसके लिए बच्चों में विभिन्न खेलों के माध्यम से शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना, खेलकूद का आयोजन करना आदि आयोजनों के माध्यम से संस्था बच्चों के बीच काम कर रही है।



संस्था का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों की खोज करना है जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। ऐसे बच्चों में पुनः शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना और फिर उनका विद्यालय में प्रवेश दिलाना है, ताकि वे अपनी शिक्षा को पुनः जारी रख सकें।



संस्था ने तय किया है कि वह आने वाले एक वर्ष में 10 स्थानों पर समुदाय आधारित शैक्षणिक संस्थान (लर्निंग सेंटर) का संचालन करेगी ताकि जिन बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है अथवा जो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाये, उन बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो तथा वे फिर विद्यालय में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। इसलिए संस्था ग्वालियर व आसपास के ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित कर रही है जहां दलित, वंचित व अल्पसंख्यक समुदाय बहुतायत संख्या में निवास करता है तथा जहां शिक्षा की रोशनी आज भी बहुत मद्धिम है।

इस पाठशाला में आने वाले बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ रही है, वे पढ़ाई का महत्व समझने लगे हैं तथा वे प्रतिदिन सावित्रीबाई फुले की पाठशाला में आते हैं और अपने काम को पूरा करते हैं, जो एक सकारात्मक प्रभाव बच्चों में देखने को मिल रहा है।

शिक्षकों का प्रशिक्षण

12-13 मार्च 2023 को संस्था द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले की पाठशाला में पढ़ाने वाले शिक्षकों व संस्था के सहयोगी साथियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के प्रारंभ पर सबसे पहले संस्था सचिव रीना शाक्य द्वारा भारत ज्ञान विज्ञान समिति से आये श्री पवन पवार जी एवं सुश्री अभिलाषा जी का उपस्थित सभी साथियों से परिचय कराया एवं बताया कि भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा देश भर में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ वैज्ञानिक शिक्षा के पक्ष में माहौल बनाने का काम करती है। गरीब व वंचित समुदाय के बीच समुदाय आधारित शिक्षण संस्थान (कम्युनिटी लर्निंग सेंटर) के माध्यम से उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना व आर.टी.आई. के माध्यम से उनको सरकारी स्कूलों में प्रवेश करवाने के लिए



प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण का प्रभाव :- इस प्रशिक्षण के माध्यम से श्री पवन जी द्वारा कुछ विन्दु चिन्हांकित करते हुए कहा कि अगर हम बच्चों को पढ़ायें तो उन पर निम्नांकित प्रभाव पड़ेगा—

1. बच्चों को पढ़ाने के दौरान आने वाली कठिनाईयों को समझना व उन्हें दूर करने में मदद करना।

2. शिक्षा के क्षेत्र में आये कानूनों की जानकारी प्राप्त करना।
3. व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ बच्चों का सर्वांगिण विकास में मदद करना।

पवन जी ने खेल के माध्यम की विभिन्न गतिविधियों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली परेशानियों के बारे में सभी साथियों को जानकारी दी। अभिलाषा जी ने विभिन्न खेलों के माध्यम से बच्चों को अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जानकारी देने का तरीका बताया।



पवन जी ने सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए कानूनों के बारे में जानकारी दी एवं उन कानूनों के माध्यम से वंचित समुदाय को कैसे शिक्षा से जोड़ा जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी।

नेशनल फाउंडेशन ऑफ इण्डिया (छ्थ) के सहयोग से अनुकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संस्था ने अपने कार्य और कार्यक्षेत्र दोनों का विस्तार किया है। आने वाले समय में हम उन कामों को प्राथमिकता से लेंगे जो अभी किसी न किसी कारणवश या अज्ञानतावश हमसे रह गये हैं उन्हें आगामी दिनों में पूरा करने का प्रयास करेंगे।

इस प्रशिक्षण शिविर में सभी प्रतिभागियों को बच्चों के बीच पढ़ाने के नए-नए तरीकों की जानकारी लगी, जिससे बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकेगी। बच्चों में पढ़ाई के प्रति कैसे रुचि पैदा करें, उसके बारे में जानकारी

प्राप्त हुई तथा “शिक्षा का अधिकार” कानून के बारे में जानकारी मिली तथा शिक्षा से वंचित बच्चों को कैसे शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं उन्हें कैसे पुनः विद्यालय में प्रवेश दिलाया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई।

सावित्रीबाई फुले पाठशाला का वार्षिक आयोजन

संस्था द्वारा 19 फरवरी 2023 को दोपहर 02:00 बजे अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर की महापौर श्रीमती शोभा



सिकरवार, महिलाओं के मुद्दे पर काम करने वाली अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमती संध्या शैली, समाजसेवी व प्रतिष्ठित डाक्टर श्री प्रवीण गौतम, नगर निगम ग्वालियर के वार्ड 05 के पार्षद श्री प्रेमप्रकाश (पी.पी.) शर्मा, वार्ड 01 के पूर्व पार्षद श्री आसिफ अली, शिवपुरी में काम करने वाली सामाजिक संस्था “ममता” की ओर से श्रीमती कल्पना रायजादा, “जय भीम अनुसूचित जाति-जनजाति” संस्था की ओर से श्रीमती सुनीता गौतम, श्रीमती कांता राजौरिया, समाजसेवी श्री तलविंदर सिंह, श्री युसूफ अब्बास, शिक्षिका रानी शाक्य सहित सैकड़ों छात्र-युवा, महिला-पुरुष उपस्थित हुए।

मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में आयी ग्वालियर नगर-निगम की महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार ने कहा कि नींव शिक्षा जन कल्याण समिति समाज के

विकास में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है, जो बधाई की पात्र हैं, हमे समाज के विकास में निरंतर ऐसे ही काम करने की आवश्यकता है। मैं महापौर और एक महिला के रूप में जहां भी आवश्यकता होगी, हमेशा मौजूद रहूंगी। आज शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने की महती आवश्यकता है।

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्या संध्या शैली ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी शिक्षा को देने के लिये समाजसेवी संगठनों को आगे आकर यह काम करना पड़ रहा है जबकि शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, हमें शिक्षा को हर बस्ती में पहुंचाने का काम करना चाहिये।

डॉ. प्रवीण गौतम (समाजसेवी) ने कहा कि हमे शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के लिये निरन्तर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां भी वंचित समुदाय शिक्षा से वंचित दिखाई दे, वहां हमें पहल कर उन्हें शिक्षित करने का काम करना चाहिए। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही स्वस्थ समाज बना सकता है। नींव संस्था की इस पहल की मैं सराहना करता हूँ और जहां भी मेरी आवश्यकता होगी। हमेशा उपलब्ध रहूँगा।

कार्यक्रम को वार्ड-05 के पार्षद श्री प्रेमप्रकाश (पी.पी.) शर्मा, वार्ड 01 के पूर्व पार्षद श्री आसिफ अली, समाजसेवी श्री तलविंदर सिंह ने भी उद्बोधन दिया।

नींव संस्था की सचिव श्रीमती रीना शाक्य ने संस्था के कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि संस्था लगातार गरीब, दलित, आदिवासी और महिलाओं में जागरूकता के लिये काम कर रही है, आशा है जहां भी आप सबके सहयोग की आवश्यकता होगी वहां आप सभी का सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। संस्था की ओर से दो स्थानों पर भी सावित्रीबाई फुले की पाठशाला खोलने की घोषणा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती करस्तूरी जाटव, श्रीमती रीना शाक्य, श्री यूसुफ अब्बास ने की तथा संचालन प्रीती सिंह ने किया।

इस कार्यक्रम के दौरान सावित्रीबाई फुले की पाठशाला के बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हुए देशभक्ति गानों पर नृत्य किया एवं कविताएं भी सुनाई। संस्था के प्रयास से पूरे क्षेत्र में लोगों के बीच एक सकारात्मक माहौल तैयार हुआ।

7- आपदा राहत कार्य



संस्था द्वारा समय-समय पर प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों को मदद पहुँचाने का कार्य किया गया। अगस्त 2022 में हुए अतिवृष्टि के कारण मुरैना जिले के जौरा तहसील में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के मदद के लिए गूज संस्था से अपील की गयी और उससे प्राप्त बाढ़ राहत सामग्री दो सौ परिवारों में वितरण किया गया।

8- संस्थान की विधिक जानकारी

- ✚ **समिति का पंजीयन** – मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्टेशन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक 02/42/01/20048/15, 10 दिसम्बर 2015.
- ✚ **पंजीयन 80 जी** – आयकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन 80 जी दिनांक 31 दिसम्बर 2021.
- ✚ **पेनकार्ड संख्या** – 116186636छ ष